न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :– 01/2017

प्यारचन्द पिता भारमल ब्राम्हण मृतक के बजाय :–
1/1 समदबाई पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/2. देवीलाल पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/3. श्यामलाल पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/4. सुरेशकुमार पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/5. पार्वतीबाई पुत्री स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/6. पीन्दूबाई पुत्री स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/7. गीताबाई पत्नि स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ

बनाम — वादीगण

1– सजनीबाई पिता किशनदास जी जाति बैरागी निवासी आजाद नगर कुम्भा सर्कल हनुमान चौक के पास भीलवाडा
2– श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
3– श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़
4– श्रीमान उप पंजीयक महोय जी पंजीयन कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़ — प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री लालूराम कुमावत
अधिवक्ता प्रतिवादीया

निर्णय दिनांकः–12.02.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88'183वी–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम करणपुरिया हल्का आंवलहेडा में वादी की पैतृक भूमि जो वादी के हिस्से में पारिवारिक विभाजन से आई है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर
13	37	0.0160
	38	0.3480
	कीता–2 रकबा	0.3640 हैक्टर

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित उक्त वर्णित आराजी वादी की पैतृक कृषि आराजी होकर पैतृक रूप से उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 उक त वर्णित भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त आराजी सम्वत 2016 से पूर्व वादी के पिता भारमल के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसके पुराने आराजी नम्बर 90 व 91 होकर वादी के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी। उक्त वर्णित आराजी को सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में उक्त दोनो नम्बरो का एक ही नम्बर 91 करके रकबा बराबर कर दिया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की भूल मात्र थी क्यो कि उक्त सम्वत में ही उक्त आराजी नम्बर पुनः अलग अलग कर रकबा भी अलग अलग दर्ज कर दिया।

यह कि सम्वत 2016 से 2019 की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी आदेश के मन मर्जी से उक्त वर्णित आराजी संख्या 91 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा अंकित कर प्रतिवादी संख्या 01 के पिता किशनदास के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया। जबकि उक्त वर्णित भूमि न तो किशनदास की पैतृक भूमि थी न ही किशनदास की क्रय शुदा भूमि थी। वास्तविकता यह है कि उक्त वर्णित आराजी संख्या 90 व 91 वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थे जो पैतृक रूप से बदस्तूर चले आ रहे थे। लेकिन मात्र राजस्व कर्मचारियो की भूल से किशनदास जो उक्त भूमि को भारमल के कहे अनुसार मजदूरी पर सिजारे बोता था इस कारण उपकृपक मात्र था जिसे राजस्व कर्मचारियो ने सम्वत 2012 से 2015 के बाद सम्वत 216 से 2019 की जमाबन्दी में बिना किसी आदेश के गलती वश खातेदार अंकित कर दिया जो गलत है।

यह कि वादी उक्त वर्णित भमि पर पैतृक रूप से काबिज हो काश्त कर रहा था। लेकिन राजस्व कर्मचारियो की उक्त गलती से उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। लेकिन कब्जा काश्त वादी का ही पैतृक रूप से रहा। यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु होने से प्रतिवादी संख्या 1 उसकी बहन भूरीबाई के नाम विरासत से दर्ज रिकार्ड हुई। तब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियती आ जाने से उसने अपनी बहन भूरी का नुमाईशी हक त्याग अपने नाम पर करा लिया। लेकिन उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 या भूरीबाई व इसके पिता किशनदास का कभी कब्जा काश्त नही रहा।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने मन में बदनियति होने से व राजस्व कर्मचारियों की गलती से उसके पिता का नाम खाते में अंकित हो जाने का नाजायज लाभ उठाने की गरज से उक्त वर्णित भूमि की सीमा जानकारी हेतु प्रतिवादी संख्या 2 के यहाँ सीमा जानकारी का एक आवेदन भी पेश किया। जिस पर दिनांक 10.12.2016 को पटवार हलका द्वारा पर्चा मौका तैयार किया। जिससे भूमि पर वादी का कब्जा हो ईसबगोल व सरसो की फसल होना जाहिर आया। जिससे भी प्रमाणित है कि उक्त भूमि पर वादी पैतृक रूप से काबिज है। जिससे वादी खातेदारी काश्त घोषित होने का अधिकारी है। यह कि दिनांक 10.12.2016 को पटवार हल्का का मौक पर आकर पर्चा मौका तैयार करने पर वादी को उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। उक्त पर्चे मौके पर अपना अंगूठा निशनी गांव के मौतबीरान व पटवार हल्का की उपस्थिति में तब मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि अपने नाम दर्ज रिकार्ड होने के कारण वादी को धमकी दी कि वह उक्त वर्णित भूमि को किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान कर देगी। उक्त वर्णित भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार का रहन बय बेचाननामा अगर प्रतिवादी संख्या 4 के यहाँ पेश करे तो प्रतिवादी संख्या 4 उसका पंजीयन नहीं करें इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने हेतु यह वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम दर्ज रिकार्ड हो जाने के बाद से ही वादी ही पैतृक रूप से उक्त भूमि पर काबिज हो निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है। इतना ही नहीं उक्त वर्णित भूमि का लगान भी वादी द्वारा जमा कराया जा रहा है। जो स्वयं वादी के पुत्र देवीलाल के हस्ते जमा होना प्रमाणित है। जिससे प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर भी वादी उक्त वर्णित भूमि को अपने नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने का अधिकारी है।

वाद कारण दिनांक 10.12.2016 को पटवार हल्का द्वारा पर्चा मौका तैयार करने पर उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी वादी को मिलने व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि को अपने नाम पर होने मात्र के आधार पर रहन बय बेचान करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रतिवादी संख्या 02 भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार वाद में आवश्यक पक्षकार होने से एवं प्रतिवादी संख्या 4 उप पंजीयक होने से इन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है। वर्णित कृषि क्षैत्र मौजा करणपुरिया पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय आपको प्राप्त होने से वादपत्र आप में पेश है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने का वैद्य अधिकारी है कि :-

1- कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि आराजी को वादी के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

2- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त वर्णित भूमि अपने नाम पर होने मात्र के आधार पर किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान नहीं करें एवं प्रतिवादी संख्या 04 उक्त वर्णित भूमि का कोई भी दस्तावेज रहन बय बेचान नामा इत्यादि पंजीकृत नहीं करें।

3- यह कि दोराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 वादी से उक्त वर्णित भूमि का कब्जा छीन लेते है या भूमि को अपने नाम पर होने के आधार पर खुर्द बुर्द कर देते है तो वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पुनः वादी के नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

4- कि खर्चा मुकदमा व वकील मेहनताना भी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे।

5- कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ हो वादी को प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवराम धाकड व बाद में श्री लालूराम कुमावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत किया गया। जवाब में निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या एक का उत्तर यह है कि इसमें वर्णित आराजीयात होना स्वीकार है किन्तु यह कथन मिथ्या है कि यह आराजीयात वादी की पैतृक भूमि हो व उसके हिस्से में पारिवारिक विभाजन में आई हो, वादी का इन आराजीया से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यह आराजी मुझ प्रतिवादी संख्या एक की पुश्तैनी होकर बहैसियत खातेदार है।

वादपत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। आराजीयात वादी की पैत्रिक होना और उसका पैत्रिक रूप से कब्जा होने की बात पूर्णतया मिथ्या हैं आराजीयात पर कदीम से मेरे पिता श्री किशनदास जी पिता बोतदास जी काबिज रहे और उनके स्वर्गवास के बाद से मै काबिज हूँ और इन आराजीयात का नामान्तरण भी मेरे नाम दिनांक 14.06.2000 को ही हो गया। मेरी एक बहिन भूरीबाई भी है जिन्होंने आराजीयात में अपना हिस्सा मेरे हक में त्याग दिया है मै इन आराजीयात को सिजारे पर देती रही हूँ पिछले 2 वर्ष पूर्व वादी को सिजारे के आधार पर यह दावा पेश किया है। वादपत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है, आराजीयात वादी के पिता भारमल के नाम दर्ज रेकार्ड होने की बात पूर्णतया गलत है और न ही आराजीयात कभी वादी के पिता के खातेदारी व कब्जे में रही जमाबंदी कर्मचारियों द्वारा भूल करने की बात पूर्णतया गलत हैं। आराजीयात के रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गयां।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वादपत्र की कलम संख्या चार का उत्तर यह है कि आराजीयात मेरे पिता किशनदास जी की होकर उनके नाम दर्ज थी। वादी के पिता का इस आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही उनका रेकार्ड में ही नाम अंकित है मेरे पिता किशनदास जी द्वारा भारमल के कहे अनुसार मजदूरी पर सिजारे पर देने की बात पूर्णतया गलत है। आराजीयात कदीम से मेरे पिता की होकर उनके ही नाम पर राही रूप से खातेदारी में अंकित हुई है। गलती से खातेदार दर्ज होने के बात गलत है। वादपत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है वाद वर्णित भूमि पर वादी का पैत्रिक रूप काबिज होकर काश्त करने की बात गलत है। वास्तविकता यह है कि यह आराजी कदीम से मेरे पिता किशनदास जी व मेरे कब्जे चली आ रही है। वादी को 2 वर्ष पूर्व काश्त हेतु सिजारे पर दी जिसकी नियत बदल जाने से अब झूठे मुकदमें बाजी कर रहा है और मेरे महिला होने का नाजायज लाभ उठा कर आराजीयात हडपना चाहता है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 6 का उत्तर यह है कि मेरे पिताजी की मृत्यु होने के बाद आराजीयात नामान्तरण मेरे व मेरी बहन भूरीबाई के नाम खोला गया। मेरे मन में कोई बदनियती होने का प्रश्न ही नहीं है। मेरी बहिन भूरीबाई ने स्वेच्छा से मेरे पक्ष में हकत्याग किया। इस भूमि पर हमारे पिता किशनदास जी व उनके बाद मै व मेरी बहिन काबिज चले आ रहे है। कलम संख्या 7 का उत्तर यह है कि सीमा की जानकारी कराने का तथ्य स्वीकार है और क्यो कि वादी सिजारे पर काश्त करता था जिसने बदनियती से अपना कब्जा होना अंकित कर दिया, वादी का पैत्रिक कब्जा होने की बात पूर्णतया मिथ्या है एवं न ही वादी अपने आपको खातेदार घोषित कराने का ही अधिकारी है। कलम संख्या 8 गलत होकर स्वीकार नहीं है। भूमि मुझ प्रतिवादी व मेरे पिता व बहिन के नाम दर्ज रेकार्ड होने का तथ्य वादी की जानकारी मे है, क्यो कि वादी के मैने सिजारे पर काश्त करने हेतु जमीन दी है, क्यो कि मैं भीलवाडा निवास करती हूँ, वादी को कोई धमकी देने का प्रश्न ही नहीं है। मेरी जायदाद का मै मेरी इच्छा अनुसार उपयोग करूं स्थानान्तरण करूं इसका मुझे पूरा अधिकर है। वादी मुझे स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 9 का उत्तर यह है कि वादी ने मिथ्या कथन किया है, वादी का भूमि पर काबिज होने का कथन पूर्णतया मिथ्या है। मेरे द्वारा वर्ष पूर्व सिजारे पर भूमि वादी को काश्त हेतु दी गई लगान मै स्वयं जमा कराती हूँ, वादी का कोई प्रतिकूल कब्जा नहीं है। वादी यह कथन विरोधाभाष लिये है। एक तरफ वादी अपने आपको व अपने पिता को खातेदार होना क्लेम करता है और दूसरी और प्रतिकूल कब्जे की बात करता है जो विरोधाभाषी है। खातेदार का कभी प्रतिकूल कब्जा हो नहीं सकता है। बिनाय दावा पैदा नहीं होती वादी ने मिथ्या एवं काल्पिक तथ्य अंकित किये है। प्रतिवादी संख्या 2,3,4 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है यह राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधि है जिनको धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना चाहिये जो नहीं दिया है इससे यह वाद चलने योग्य नहीं है।

किशनदास जी सम्वत 2012 से खातेदार है ऐसी अवस्था में 60 वर्ष से अधिक अवधि के खातेदार काबिज के विरूद्ध यह वाद स्पष्ट रूप से अवधिपार है। वादी उसके भाई फोत हीरालाल वगैराह को पार्टी नहीं बनाया है, इसलिए वाद खारीज होने योग्य है।

:: विशेष कथन एवं काउंटर क्लेम अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट सन 1955 वास्ते कब्जेयाबी::

1– यह कि मै उत्तरदाता प्रति0 सं0 एक वादग्रस्त आराजीयात वाके मौजा करणपुरिया प0ह0 आंवलहेडा के नं0 37 एवं 38 कीता2 कुल रकबा 0.364 हैक्टर की खातेदार हूँ और वादी ने यह वाद गलत रूप से बदनियती से पेश किया है।

2– यह कि वादग्रस्त आराजीयात पर मेरे स्व0 पिता किशनदास जी यानि 60 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज चले आ रहे थे उनके स्वर्गवास के पश्चात लगभग 25 वर्ष से मै काबिज होकर काश्त कर रही हूँ मै एक महिला हूँ और भीलवाडा मे निवास करती हूँ जिससे सन 2015 से उक्त आराजीयात वादी को सिजारे पर काश्त हेतू दी और वादी ने अपने आपको कदीम से काबिज बता कर यह झूंठा वाद प्रस्तुत कर दिया। वादी को कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है। मै उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या एक खातेदार हो कर वादी का कब्जा हटा कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी हूँ क्यो कि वादी मेरे अधिकार को चुनौती देकर अपने आपको खातेदार बताने लग गया है जिससे वह मेरे विरूद्ध एवं मेरे मुकाबले मे अतिक्रमी है और मैं कब्जा करने का अधिकारी हूँ।

3– यह कि बिनाय दावा वाद का सम्मन मिलने सेवाद को पढने से दिनांक 01.02.2017 से होकर प्रतिदिन हो रही है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि वाद वादी मय खर्चा खारीज फरमाया जावें एवं उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या एक का काउंटर क्लेम वास्ते कब्जेयाबी आराजी संख्या 37, 38 कीता 2 कुल रकबा 0.364 हैक्टर भूमि वाके मौजा करणपुरिया के कब्जेयाबी हेतु विरूद्ध वादी डिकी मय खर्चा फरमाया जावें।

प्रकरण मे प्रतिवादीया का जवाब व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वर्णित भूमि पर कभी प्रतिवादी संख्या 1 य इसके पिता अथवा इनके पूर्वजो का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीया स्वयं भी कभी उक्त भूमि पर आई ही नहीं है। प्रतिवादीया ने गलत कथन अंकिन किये है। उक्त वर्णित भूमि को मुझ वादी को सिजारे देने का कथन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अत है। मुझ वादी का उक्त वर्णित भूमि पर पैत्रिक रूप से कब्जा होकर खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। प्रतिवादीयों का मुझ वादी का कब्जा काश्त होने की जानकारी दर्शा से है।

काउण्टरक्लेम अवधि बाहर होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीया प्रस्तुत काउण्टरक्लेम से कब्जेयाबी की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

अत: प्रतिवादीया की ओर से प्रस्तुत काउण्टरक्लेम सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा व काउण्टरक्लेम एवं जवाब काउण्टरक्लेम के प्रस्तुत होने पर निम्नलिखित तनकी पत्र पृथक से कायम किया जारक शामिल पत्रावली किया गया :—

1— आया कि मौजा करणपुरिया प.ह. आंवलहेडा में वादी की पैतृक भूमि आराजी संख्या 37, 38 किता—2 कुल रकबा 0.3640 हैक्टर भूमि की घोषणा वादी करा पाने के अधिकारी है? साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के वादी अधिकारी है कि उक्त वर्णित भूमि अपने नाम पर होने मात्र के आधार पर किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान नहीं करें एवं प्रतिवादी सं. 4 उक्त वर्णित भूमि का कोई भी दस्तावेज रहन बय बेचाननामा इत्यादि पंजीकृत नहीं करें ? तथा वाद के दौरान वाद प्रतिवादी सं. 1 वादी से उक्त वर्णित भूमि का कब्जा छीन लेते है या भूमि को अपने नाम पर होने के आधार पर खुर्द बुर्द कर देते है तो वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि पुनः वादी अपने नाम दर्ज करा पाने की घोषणा करा पाने के अधिकारी है?

वादी

2— आया कि उत्तरदाता प्रतिवादी सं0 एक वादग्रस्त आराजीयात वाके मौजा करणपुरिया प.ह. आंवलहेडा के आराजी नं0 37 एवं 38 कीता—2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि के खातेदार है और वादी ने यह वाद गलत रूप से बदनियती से पेश किया है, वादग्रस्त आराजीयात पर मेरे स्व0 पिता किशनदास जी यानि 60 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज चले आ रहे थे उनके स्वर्गवास के पश्चात लगभग 25 वर्ष से मै काबिज होकर काश्त कर रही हूँ मै एक महिला हूँ और भीलवाडा निवास करती हूँ जिससे सन 2015 से उक्त आराजीयात वादी को सिजारे पर काश्त हेतु दी और वादी ने अपने आपको कदीमी से काबिज बताकर यह झूंठा दावा प्रस्तुत किया है, वादी को मुझ प्रतिवादीया की भूमि पर कोई कब्जा रखने का अधिकार नहीं है, वादी मुझ प्रतिवादीया के मुकाबले अतिक्रमी है और मै प्रतिवादीया अपनी भूमि पर कब्जा करने की अधिकारी हूँ। वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर मुझ उत्तरदाता काउण्टरक्लेम प्रस्तुत कर्ता का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर वास्ते कब्जेयाबी आराजी संख्या 37 व 38 किता— 2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि वाके मौजा करणपुरिया के कब्जेयाबी हेतु विरूद्ध वादी दावा डिक्री करा पाने की प्रतिवादीया अधिकारी है?

प्रतिवादीया

3— आया कि वाद वर्णित भूमि मुझ वादी का पैतृक रूप से कब्जा होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वादी अधिकारी होने से प्रतिवादीया का काउण्टरक्लेम सव्यय खारिज करा पाने के वादी अधिकारी है?

वादी

4— दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र शामिल किये जाने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्यशपथ पत्र वादी समरथलाल पिता स्व. प्यारचंद्र का गवाह रामेश्वरलाल पिता दौला, बाबुलाल शर्मा पिता उंकारलाल जी शर्मा के पेश किये जिनसे अधिवक्ता प्रतिवादीया ने मुख्य परीक्षण में वादी एवं गवाह से जिरह कर बयान वादी एवं गवाह के कलमबद्ध कराये वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। वादी ने अपने बयानों को वादपत्र के अनुसार करते हुए कहा कि वर्णित भूमि भारमल पिता माधो ब्राम्हण की थी ,एवं भूमि पर कब्जा हमरा ही है। इस प्रकार वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीया की साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादीया सजनीबाई पिता किशनदास बैरागी के प्रस्तुत किये जिनसे मुख्य परीक्षण में अधिवक्ता वादीगण द्वारा जिरह करते हुए प्रतिवादीया का बयान को कलमबद्ध कराया गया। जिरह मे प्रतिवादीया द्वारा भूमि उनकी पैत्रिक भूमि होना तथा प्रारम्भ से ही भूमि पर कब्जा होना अंकित किया है। इस प्रकार पत्रावली में वादीगण एवं प्रतिवादीया की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

बहस में अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार ही करते हुए कहा कि वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीया का कब्जा कभी नहीं रहा है ना ही कब्जा है, कब्जा हमारा ही है। जमीन के पुराने नम्बर 90, 91 थे, सम्वत 2012 से 15 की जमाबन्दी में रकबा बराबर कर दिया गया। उपकृषक को खातेदार घोषित (किशनदास) कर दिया गया जो गलत है। प्रदर्श— 3 पटवारी मौका पर्चा है तथा नकलो में भारमल खुदकाश्त थी , सीमाजानकारी में मौके पर विवाद सम्बन्धी रिपोर्ट है। वर्णित भूमि हमारे पूर्वजो की भूमि है तथा प्रारम्भ से ही हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है, भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से किशनदास के नाम पर अंकित कर दी गई, प्रतिवादीया जो कि किशनदास की पुत्री है उनका उक्त भूमि पर कही कब्जा नहीं है वह भीलवाडा रहती है, तथा खाते में नाम होने का लाभ उठाते हुए भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहती है जिसका की उनको अधिकार नहीं है, प्रतिवादीया की भूमि अलग है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाते हुए वर्णित भूमि की घोषणा वादीगण के पक्ष में की जावें तथा प्रतिवादीया को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बनू (चित्तौड़गढ़)

बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीया ने अपने जवाबदावा एवं काउण्टरक्लेम अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि वर्णित भूमि सम्वत 2012से ही किशनदास के नाम पर अंकित थी जो बाद में उनकी पुत्री सजनीबाई के नाम पर दर्ज की गई। किशनदास जी के दो पुत्री भूरी व सजनीबाई है भूरीबाई ने सजनीबाई के नाम पर अपना हकत्याग कर दिया, जिससे भूमि सजनीबाई के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श–7 में भारमल लिखा है, भारमल जी के चार लड़के थे अंकित दावा केवल प्यारचंद ने ही पेश किया है। दावा पत्र में भी तो भी का भाग नहीं लिखवाया। बाकी भाई क्यों नहीं आये। प्रतिवादीया का नाम पुश्तैनी भूमि होने से उनके नाम दर्ज हुई है, वादीगण का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीया खातेदार है तथा खातेदार का कब्जा है जिसे वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकते है। वादीगण का दावापत्र सव्यय खारिज फरमाया जाकर मुझ प्रतिवादीया का प्रतिदावापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुन लेने के पश्चात प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन एवं उन पर मनन हमारे द्वारा किया गया। सभी दस्तावेजो के गणावगुण अनुसार पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय दस्तावेजात के अंकन के साथ निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। इस दावा पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज अपने दावा पत्र को सिद्ध कराने के लिए प्रस्तुत किये है, उनमें प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा करणपुरिया पटवार हल्का आंवलहेडा की सम्वत 2069 से 72 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 37 रकबा 0.0160 हैक्टर एवं आराजी संख्या 38 रकबा 0.3480 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री सजनी भूरी पिता किशनदास बैरागी सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि नामा.स. 49 दिनांक 20.10.2016 हकत्याग से खाता सजनी पिता किशनदास बैरागी सा.देह हा.मु. भीलवाडा के नाम दर्ज होने का अंकन किया हुआ है। यानि वाद वर्णित भूमि इस के खातेदार प्रतिवादीया श्री सजनीबाई है। प्रदर्श– 2 जो कि सीमाजानकारी के लिए तैयार किया हुआ पर्चामौका है जो पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया है, जिसमें अंकित किया है कि मौजा करणपुरिया की आराजी नम्बर 37 ,38 रकबा क्रमशः 0.0160 हैक्टर, 0.3480 हैक्टर भूमि की सीमाजानकारी कराने बाबत मौके पर मय प्रार्थी सजनीदेवी पिता किशनदास बैरागी निवासी करणपुरिया हा.मु. भीलवाडा के साथ मय मौतबीरान मौके पर पहुँचा मौके पर वर्तमान में इसबगोल व सरसो की फसल प्यारचन्द्र पिता भारमल ब्राम्हण निवासी करणपुरिया द्वारा बोई जाकर वर्तमान में प्यारचन्द का कब्जा होकर भूमि विवादग्रसत है भूमि विवादित होने से सीमा जानकारी कराया जाना संभव नहीं है। प्रदर्श– 4 पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बेगूँ को प्रस्तुत की गई सीमाजानकारी की रिपोर्ट पत्र की है। इन दोनो ही दस्तावेज से स्पष्ट हो जाता है कि वादवर्णित भूमि जिसकी खातेदार सजनीदेवी है लेकिन उनका कब्जा काश्त भूमि पर नहीं होकर वादीगण के पिता प्यारचंद्र का कब्जकाश्त होकर उनके द्वारा ही भूमि पर फसल बोया जाना व कब्जा होना अंकित किया है।

प्रदर्श– 4 नकल भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान नम्बरान की है जिसमें दर्ज वर्तमान आराजी संख्या 37 रकबा 2 बिस्वा व आराजी संख्या 38 के रकबा 2बीघा 3 बिस्वा अंकित किये है जो कि गत आराजी नम्बर 91 व 91मी.रकबा क्रमशः 1बीघा 17बिस्वा व 16बिस्वा रास्ता व 91 रकबा 1बीघार 17 बिस्वा अंकित किये हुए है। तथा कॉलम नम्बर 23 नाम कृषक (गत भूमाप) व नाम कृषक (वर्तमान) में किशनदास पिता बालूदास बैरागी सा.देह खातेदार का नाम दर्ज किया हुआ हैं। प्रदर्श– 5 लगान की तृतीय रसीद है जिसमें 103 रूपये भारमल द्वारा जमाकराये जाने का अंकन है। प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी मौजा करणपुरिया की सम्वत 2008 सें 2012 की है जिसमें दर्ज गत आराजी संख्या 90 रकबा 2बीघा 15बिस्वा, आराजी संख्या 98 रकबा 1बीघा 8 बिस्वा व आराजी संख्या 127 रकबा 7बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 132 रकबा 1बीघा 14बिस्वा भूमि कुल कीता– 4 कुल रकबा 13बीघा 5बिस्वा भूमि के खातेदार भारमल पिता माधो ब्राम्हण सा. देह खातेदार दर्ज होकर इसी के आगे जमाबंदी की नकल जो लगातार है सम्वत 2008 से 2015 की है उसमें आराजी संख्या 83, 84, 85,89, 90,91 ,93 भी दर्ज होकर आराजी संख्या 90 रकबा 17बिस्वा व 91 रकबा 16बिस्वा भूमि को साथ संकलित किया हुआ है, जो श्री भारमल मजकूर के नाम पर दर्ज अंकित है। इन दोनो जमाबंदी से स्पष्ट है कि गत आराजी संख्या 90 व 91 के खातेदार भारमल जो कि वादीगण के पितामह थे के नाम पर दर्ज थी। इसी प्रकार प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी मौजा करणपुरिया की सम्वत 2012 से 2015 में भी आराजी संख्या 90, 98 व 127 132 कीता– 4 कुल रकबा 13बीघा 5बिस्वा भूमि के खातेदार भारमल ब्राम्हण दर्ज होकर खुदकाश्त अंकित किया हुआ है। प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी मौजा करणपुर सम्वत 2012 से 2015 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 79, 82, 83, 84, 95, 89, 90, 91, 93 कीता–8 कुल रकबा 12बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातदेार श्री भारमल मजकूर दर्ज है।

प्रदर्श–9 जो कि नकल जमाबंदी मौजा करणपुरिया की सम्वत 2016 से 2019 तक की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 13, 23, 26, 91, 125 कीता– 5 रकबा 11बीघा 10बिस्वा भूमि के खातेदार किशनदास पिता बाल्या बैरागी निवासी देह खातेदार दर्ज है। इस जमाबंदी में गत आराजी संख्या 91 रकबा 1बीघा 17 बिस्वा भूमि जो अन्य आराजी नम्बरान के साथ दर्ज की गई है वह किस प्रकार से दर्ज की गई है। जबकि पूर्व में प्रस्तुत प्रदर्श–6 से प्रदर्श–8 तक नकल जमाबंदी में गत आराजी संख्या 90 व 91 के खातेदार भारमल जी को अंकित किया हुआ है, प्रतिवादीया ने अपने जवाब व काउण्टरक्लेम में अंकित किया है कि किशनदास जी सम्वत 2012 से खातेदार थे लेकिन दस्तावेज अनुसार किशनदास जी का नाम सम्वत 2015 से अंकित आराजी संख्या 91 में किया गया है, प्रतिवादीया ने कथन किया है कि भूमि पर हम 60 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज चले आ रहे थे पिता जी के स्वर्गवास के पश्चात लगभग 25 वर्ष से मै काबीज

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

कर काश्त कर रही हूँ यह प्रतिवादीया का कथन प्रदर्श– 2 पर्चामौका सीमाजानकारी से गलत हो जाता है क्यो कि भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता प्यारचंद का होकर उनके द्वारा फसल ईसबगोल व सरसो का बोया जाना व कब्जा उनका ही होना अंकित किया है। गत आराजी संख्या 90 व 91 जो कि वादीगण के पितामह भारमल जी के खातेदारी की व खुदकाश्त की भूमि थी जिसके नये आराजी नम्बर 37 व 38 बने है वह प्रतिवादीया के पिता किशनदास जी के नाम पर किस प्रकार से दर्ज कर दी गई यह तथ्य प्रतिवादीया द्वारा अपने जवाब व काउण्टरक्लेम मे स्पष्ट नहीं किया गया है। ना ही पूर्व का रेकार्ड प्रस्तुत किया जो कि यह सिद्ध कर सके कि विवादित गत आराजी संख्या 91 उनकी ही पैत्रिक कृषि आराजी हो।

वादी द्वारा इस दावा पत्रावली में नकल जमाबंदी मौजा करणपुरिया की सम्वत 2015 से 2019 की पेश की है जो कि प्रदर्श–10 है इसमें अन्य आराजीयात के साथ साथ गत आराजी संख्या 70 रकबा 2बीघा 15 बिस्वा, व आराजी संख्या भारमल पिता माधो ब्राम्हण की भूमि अंकित की हुई है। प्रदर्श– 12 नकल जमाबंदी मौजा करणपुरिया सम्वत 2029 से 2032 में दर्ज आराजी संख्या 6, 7, 10, 37, 38, 35 कीता– 6 कुल रकबा 15 बीघा 1बिस्वा भूमि के खातेदार किशनदास पिता बोतदास बैरागी दर्ज अंकित किये है। साथ ही प्रदर्श– 13 नकल जमाबंदी सम्वत 2032से 2035 तक में दर्ज आराजी संख्या 6, 7, 10, 37, 38, 35 कीता– 6 कुल रकबा 15बीघा 1बिस्वा भूमि जो कि खातेदार किशनदास पिता बोतदास बैरागी दर्ज अंकित है की जमाबंदी में नोट अंकित किया है कि आराजी संख्या 10 रकबा 5बीघा भूमि बिकाव से श्री बंशीलाल पिता भारमल के नाम दर्ज की गई व आराजी संख्या 65 रकबा 3बीघा भूमि बिकाव से श्री तेजपाल पिता भारमल ब्राम्हण के नाम दर्ज की गई।

इस प्रकार इन सभी दस्तावेज के गहन अवलोकन एवं मनन किये जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वाद वर्णित गत आराजी संख्या 90 व 91 जिसके खातेदार पूर्व के दस्तावेज में वादीगण के पितामह भारमल पिता माधोलाल ब्राम्हण थे के नवीन आराजी संख्या 37 व 38 जिसके हकदार वादीगण है, क्यो कि उक्त आराजी पर वादीगण के पुश्तैनी होने से लगातार कब्जा काश्त भी वादीगण का ही चला आ रहा है। गत आराजी संख्या 91 रकबा 1बीघा 17बिस्वा भूमि प्रतिवादीया के पिता किशनदास के नाम पर किस आधार पर दर्ज कर दी गई जबकि इससे पूर्व के जमाबंदी में उनके पिता इस भूमि के खातेदार नहीं थे। प्रतिवादीया को चाहिए था कि वे अपने काउण्टर क्लेम में विवादित आराजीयात के गत आराजी उनकी पैत्रिक होने के सम्बन्ध में ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेज इस दावे में प्रस्तुत नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर गत आराजीयात जो कि वादीगण की पुश्तैनी कृषि आराजी थी जिसके नवीन आराजी संख्या 37 व 38 पडे है वह सहवन से ही प्रतिवादीया के पिता के नाम पर दर्ज कर दी गई जो कि विरासत से प्रतिवादीया के नाम पर दर्ज है जबकि कब्जा काश्त प्रारम्भ से ही प्रतिवादीया का इन भूमि पर नहीं होकर वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है, वर्तमान जमाबंदी में नाम अंकन होने का लाभ प्राप्त करने व भूमि पर कब्जा करने के लिए ही प्रतिवादीया द्वारा सीमाजानकारी करने का प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया था, यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब प्रतिवादीया की पुश्तैनी भूमि वाद वर्णित आराजी थी तथा उस पर उनके पिता के समय से ही कब्जा था तो प्रतिवादीया को भूमि की सीमा की जानकारी नहीं होना अपने आप में प्रतिवादीया के काउण्टरक्लेम को गलत साबित करता है। यदि विवादित भूमि प्रतिवादिया की थी तथा भूमि उनकी पुश्तैनी थी वादीगण के कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही प्रतिवादीया द्वारा क्यो नहीं की गई? इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वादवर्णित कृषि आराजी मौजा करणपुरिया प0ह0 आंवलहेडा की आराजी संख्या 37 रकबा 0.0160 हैक्टर एवं आराजी संख्या 38 रकबा 0.3480 हैक्टर भूमि को वादीगण अपने नाम घोषित करा पाने व प्रतिवादीया को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीया संख्या 1 निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीया संख्या 1 का है। प्रतिवादीया द्वारा अपने जवाब एवं काउण्टरक्लेम में यह कथन किया है कि वर्णित भूमि की वह खातेदार है यह तथ्य दस्तावेज से सही है कि प्रतिवादीया वादवर्णित भूमि मौजा करणपुरिया प0ह0 आंवलहेडा की आराजी संख्या 37 व 38 कीता–2 कुल रकबा 0.364 हैक्टर भूमि की वर्तमान में खातेदार किन्तु प्रतिवादीया द्वारा यह भी कहा है कि वादी ने गलत रूप से बदनियती से दावा पेश किया यह प्रतिवादीया का कथन सिद्ध नहीं होता है क्यो कि वादवर्णित भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि थी जो कि तनको नम्बर 1 के निर्णय एवं पत्रावली मे सभी प्रस्तुत दस्तावेज से सिद्ध हुआ है कि वादवर्णित भूमि वादीगण के पितामह भारमल पिता माधोलाल ब्राम्हण की भूमि थी, जो गलती से प्रतिवादीया के पिता किशनदास के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में अंकित कर दी गई, प्रतिवादीया द्वारा उक्त वर्णित भूमि जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व के आराजी नम्बर 90, 91 थे के सम्बन्ध में कोई ऐसा ठोस सबूत भी इस दावा पत्रावली में अपने काउण्टरक्लेम को सिद्ध कराने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है जो कि यह सिद्ध कर सके कि सम्वत 2015 से पूर्व वर्णित भूमि प्रतिवादीया के पूर्वजो की रही हो। जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीया के पिता किशनदास जी का कब्जा काश्त 60 वर्ष से अधिक समय से होने का कथन एवं उनके बाद 25 वर्षो से प्रतिवादीया का कब्जा काश्त होने का कथन दोनो ही प्रतिवादीया द्वारा इस वादपत्र में सिद्ध कराये है। एक तरफ तो प्रतिवादीया भूमि पर उनके पिता व उनका कब्जा होने का कथन कर रही है तथा दूसरी ओर अपने काउण्टरक्लेम में प्रतिवादीया वादीगण से अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त कर पाने की अधिकारी होने का कथन कर रही है। जबकि पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–2 से प्रतिवादीया का कब्जा भूमि पर नहीं होना पाया गया है। जैसा कि इस दावा पत्रावली में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
डीग (राजस्थान)

दीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन एवं प्रमाणीकरण से वादीगण का वादपत्र तनकी नम्बर 1 के निर्णय में उनके पक्ष में निर्णित किया है, जिससे प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टरक्लेम के आधार पर मौजा करणपुरिया प0ह0 ऑवलहेडा की आराजी संख्या 37 व 38 कीता–2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त कर पाने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत काउण्टरक्लेम बावत कब्जेयाबी का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 2 विरूद्ध प्रतिवादीया सं0 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3– तनकी नं0 3 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वैसे यह तनकी नं0 3 स्वतः ही तनकी न0 1 व तनकी नं0 2 के निर्णय से वादीगण के पक्ष मे सिद्ध होती है क्यो कि वादवर्णित भूमि दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसे वादीगण अपने नाम पर घोषित करा पाने के अधिकारी तनकी नं0 1 में पाये गये है। साथ ही प्रतिवादीया अपने काउण्टरक्लेम को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रही है। जिससे यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीया सं0 1 के निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकी नंम्बर 1 से तनकी नम्बर 3 तक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीया सं0 1 के निर्णित की गई है। साथ ही पत्रावली में सभी दस्तावेज के अवलोकन एवं तनकी पत्र में प्रदर्श दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहे है कि वादवर्णित कृषि भूमि मौजा करणपुरिया प0ह0 ऑवहलेडा की आराजी संख्या 37 व 38 कीता–2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि जिसके सेटमेन्ट पूर्व के आराजी संख्या 91 जो कि वादीगण के पितामह भारमल पिता माधो ब्राम्हण की भूमि थी जिसे वादीगण अपने नाम पर घोषित करा पाने के अधिकारी पाये जाते है तथा प्रतिवादीया सं0 1 के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी भी पाये जाते है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में जबरन दखलंदाजी न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। इस प्रकार वादीगण का वादपत्र वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाने योग्य एवं प्रतिवादीया का काउण्टरक्लेम खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–183बी–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि मौजा करणपुरिया प0ह0 ऑवहलेडा की आराजी संख्या 37 व 38 कीता–2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि प्रतिवादीया सं0 1 सजनीबाई पिता किशनदास बैरागी निवासी करणपुरिया हा0मु0 आजादनगर कुम्भा सर्किल, हनुमान चौक भीलवाडा के खातेदार से कम की जाकर वादीगण के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। प्रतिवादीया सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र (काउण्टरक्लेम) सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीया सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मौजा करणपुरिया प0ह0 ऑवहलेडा की आराजी संख्या 37 व 38 कीता–2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि में ना स्वयं दखलंदाजी करें ना ही किसी अन्य से करावें। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गयां।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 01/2017

प्यारचन्द पिता भारमल ब्राम्हण मृतक के बजाय :–

1/1 समरथलाल पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/2. देवीलाल पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/3. श्यामलाल पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/4. सुरेशकुमार पिता स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/5. पार्वतीबाई पुत्री स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/6. पीन्टूबाई पुत्री स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
1/7. गीताबाई पत्नि स्व. प्यारचन्द ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ

बनाम

वादीगण

1– सजनीबाई पिता किशनदास जी जाति बैरागी निवासी आजाद नगर कुम्भा सर्कल हनुमान चौक के पास भीलवाडा
2– श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
3– श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ़
4– श्रीमान उप पंजीयक महोय जी पंजीयन कार्यालय बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–183बी–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री लालूराम कावत की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–183बी–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 12.02.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–183बी–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीया का काउण्टरक्लेम खारिज किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–183बी–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि मौजा करणपुरिया प0ह0 ऑवहलेडा की आराजी संख्या 37 व 38 कीता–2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि प्रतिवादीया सं0 1 सजनीबाई पिता किशनदास बैरागी निवासी करणपुरिया ह0मु0 आजादनगर कुम्भा सर्किल, हनुमान चौक भीलवाडा के खातेदार से कम की जाकर वादीगण के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। प्रतिवादीया सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र (काउण्टरक्लेम) सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीया सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मौजा करणपुरिया प0ह0 ऑवहलेडा की आराजी संख्या 37 व 38 कीता–2 रकबा 0.364 हैक्टर भूमि में ना स्वयं दखलंदाजी करें ना ही किसी अन्य से करावें। पर्चा डिक्री पृथक से तेयार किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भेजी जावें।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.02.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
दिनांक :– 17.2.25

क्रमांक/सरिश्ता/2025/87

वाद संख्या 01/2017 व अनवान प्यारचन्द के बजाय समरथलाल वगै बनाम सजनीबाई वगै. वाद अ.धा. 88–183बी–188 राज0काश्त अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती हैं।

सहाय कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)